संख्या– 346 /VI-I/2008–2(8)2008

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक : 16 अप्रैल, 2009

विषयः–वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक में संस्कृति विभाग के वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित विभाग के पत्र संख्या–205/XXVII(I)/2009 दिनांक–25–3–09 तथा पत्र संख्या–247/XXVII(I)/2009 दिनांक– 30–3–09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में संस्कृति विभाग के विभिन्न ईकाईयों हेतु अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित बजट व्यवस्था से आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 52,60000.00 (रू0 बावन लाख साठ हजार मात्र)एवं आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रू0 98,33,000.00 (रू0 अठानवें लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए वचनबद्ध मदों में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या–11
लेखाशीर्षक 2205– कला एवं संस्कृति
001 –निदेशन तथा प्रशासन
03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	2	3	4
1.	01–वेतन	600	500
2.	02–मजदूरी	17	50
3.	03 मंहगाई भत्तें	139	110
4.	06 अन्य भत्तें	66	55
5.	09 विद्युत देय	50	33
6.	10–जलकल/जल प्रभार	20	10
7.	13 टेलीफोन	20	17
8	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	67
9.	27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	67	50
	योग	1029	892

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति

101 ललित कला शिक्षा

03– भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय

क0 स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01–वेतन	1067	2212
2.	03 मंहगाई भत्तें	235	487
3.	06 अन्य भत्तें	117	243
4.	09 विद्युत देय	50	50
5.	10–जलकल/जल प्रभार	20	08
6.	13 टेलीफोन	13	13
7.	27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	33	50
	योग	1535	3063

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 2205– कला एवं संस्कृति

002 –कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

04 स्व0 गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01–वेतन	67	81
2.	02–मजदूरी	7	7
3.	03 मंहगाई भत्तें	15	18
4.	06 अन्य भत्तें	7	9
5.	09 विद्युत देय	–	5
6	10–जलकल/जल प्रभार	–	2
7.	13 टेलीफोन	–	3
8.	27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13	10
	योग	109	135

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक 2205– कला एवं संस्कृति

002 –कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

103 पुरातत्व विज्ञान

01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

0101 पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 172 का कियान्वयन (50 प्रतिशत केन्द्रांश)

(धनराशि हजार रू0 में)

क0 स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	2	3	4
1.	01–वेतन	–	189
2.	03 मंहगाई भत्तें	–	42
3.	06 अन्य भत्तें	–	21

4.	09– विद्युत देय	–	5
5.	13– टेलीफोन	–	5
6.	17– किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	–	10
7.	27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	10
	योग–	–	280

अनुदान संख्या –11
लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति
103–पुरातत्व विज्ञान
03– पुरातत्व अधिष्ठान

(धनराशि हजार रू0 में)

क0स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01– वेतन	833	1676
2.	02– मजदूरी	–	33
3.	03– महंगाई भत्तें	183	369
4.	06– अन्य भत्ते	–	104
5.	09– विद्युत देय	–	23
6.	10– जलकर / जलप्रभार	–	5
7.	13– टेलीफोन	–	10
8.	15– गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	–	33
9.	17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	–	5
10.	27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	50
	योग–	1016	2389

अनुदान संख्या –11
लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति
104– अभिलेखागार
01– केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
03–राज्य अभिलेख

(धनराशि हजार रू0 में)

क0स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01– वेतन	833	756
2.	02– मजदूरी	23	
3.	03– महगाई भत्तें	183	164
4.	06– अन्य भत्ते	92	81
5.	07– मानदेय	3	2
6.	09– विद्युत देय	17	27
7.	10– जलकर / जलप्रभार	–	8
8.	13– टेलीफोन	12	8

9.	15–गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	33	17
10.	17–किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	–	50
11.	27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25	33
	योगः–	1221	1124

अनुदान संख्या–11
लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति
–107– संग्रहालय–03 अधिष्ठान व्यय

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0 स0	मानक मद	(आयोजनागत पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि	(आयोजनेत्तर पक्ष) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01– वेतन	200	1391
2.	02– मजदूरी	17	17
3.	03– मंहगाई भत्ते	44	306
4.	06 –अन्य भत्ते	22	153
5.	09– विद्युत देय	33	23
6.	10– जलकर /जलप्रभार	7	5
7.	13– टेलीफोन	10	8
8.	15– गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल की खरीद	–	8
9.	17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	–	7
8–	27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	17	33
	योगः–	350	1951
	महायोग–	5260	9833

उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है। कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय का करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशा क अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय मे मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्यय में अनुदान सख्या–11 लेखाशीर्षक–220 के उपरोक्त अंकित तालिका के अनुसार संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(एस0एस0बलिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या– 346/VI-I/2009–2(8)2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3– अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5– बजट, राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।

6– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।

7– एन0आई0सी0, देहरादून।

8– गार्ड फाईल।